



कार्यालय - देवास विकास प्राधिकरण, देवास

देवास विकास प्राधिकरण की योजना न्यू-देवास झोन क्र.-02, सेक्टर-G (श्री लीलाधाम जे.एस.एम. कॉलोनी) एवं सेक्टर-F में स्थित आवासीय भूखण्डों को भूमि-स्वामी अधिकार के अंतर्गत व्ययन करने हेतु ऑफर (बोली) ऑनलाईन के माध्यम से आमंत्रित

विज्ञापन क्रमांक : 03/सम्पदा शाखा/2026

दिनांक : 03.06.2026

प्राधिकरण की योजना न्यू-देवास झोन क्र.-02, सेक्टर-G (श्री लीलाधाम जे.एस.एम. कॉलोनी) एवं सेक्टर-F में स्थित विभिन्न आरक्षित वर्ग के आवासीय उपयोग के भूखण्डों को "म.प्र. विकास प्राधिकरणों की संपत्तियों का प्रबंधन तथा व्ययन नियम, 2018" एवं संशोधित नियम अनुसार भूमि-स्वामी अधिकार के अंतर्गत व्ययन करने हेतु ऑफर (बोली) ऑनलाईन के माध्यम से आमंत्रित की जाती है, जो कि निम्न तालिका में वर्णित होकर ऑनलाईन ऑफर (बोली) वेबसाइट <https://vikaspradhikaran.mponline.gov.in> के माध्यम से दिनांक 08.06.2026 से दिनांक 29.06.2026 तक आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित अवधि में प्राप्त ऑफर दिनांक 30.06.2026 को खोले जावेंगे। निम्न संपत्तियों का विस्तृत विज्ञापन प्राधिकरण की वेबसाइट www.ddadewas.org पर देखा जा सकता है।

क्र.	भूखण्ड क्रमांक	भूखण्डों की संख्या	आरक्षण की श्रेणी
सेक्टर- G (श्री लीलाधाम जे.एस.एम.कॉलोनी) :			
1	59,123,134,145, 154,184	06	अनुसूचित जाति
2	08,55,56,127,148, 150,155,159,167,170	10	अनुसूचित जनजाति
3	49	01	अनुसूचित जनजाति (महिला)
4	23,62,63,65	04	पिछड़ा वर्ग
5	45,143,149	03	स्वतंत्रता संग्राम सैनानी/लोकतंत्र सैनानी या उनके जीवित न होने की दशा में उनकी पत्नी/पति
6	128	01	सैनिक/ भूतपूर्व सैनिक
7	24,53,151	03	पत्रकार रिपोर्टर
8	43,54,135	03	दिव्यांग
9	04,05,11,48,51,52,64, 136,137,139,141,142, 144,146,152,153,156, 157,160,162,163,164, 166,168,169,183	26	सामान्य
10	03,140	02	सामान्य (महिला)
सेक्टर- F :			
1	27	01	स्वतंत्रता संग्राम सैनानी/लोकतंत्र सैनानी या उनके जीवित न होने की दशा में उनकी पत्नी/पति

नोट : 1.वेबसाइट पर दिये गये लिंक को ओपन करने के पश्चात आपको योजना की सम्पूर्ण जानकारी प्रदर्शित होगी, जिसमें योजना का मानचित्र एवं अपलोड करने हेतु विभिन्न आवश्यक अभिलेखों की जानकारी देखी जा सकती है। ऑनलाईन फॉर्म भरने हेतु प्राधिकरण की एकल खिड़की से संपर्क किया जा सकता है।

2. प्राधिकरण को किसी भी बोली/समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी